कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़

E-mail: dlsa21jhalawar@gmail.com
Phone no. 07432-294065, 8306002127

क्रमांक : 580 दिनांक 22/1/26

::विज्ञप्ति::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक F-2(34)/रालसा/DS-I/2025/15767 दिनांक 04.12.2025 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ हेतु मुख्यालय एवं चयनित पंचायत समिति स्तर पर तय की गई निर्धारित संख्या में पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (अधिकार मित्र) का चयन किया जाना हैं।

पंचायत समिति बकानी हेतु 04, पंचायत समिति मनोहरथाना हेतु 01, ताल्लुका विधिक सेवा समिति चौमहला(पंचायत समिति डग) हेतु 02, ताल्लुका विधिक सेवा समिति भवानीमण्डी (पंचायत समिति भवानीमण्डी) हेतु 02, ताल्लुका विधिक सेवा समिति खानपुर (पंचायत समिति खानपुर) हेतु 01,ताल्लुका विधिक सेवा समिति पिडावा(पंचायत समिति सुनेल) हेतु 02, कुल 12 पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की आवश्यकता हैं। इस हेतु सम्बन्धित क्षैत्र मे निवासरत व्यक्तियों को अस्थाई रूप से पैरा लीगल वॉलियन्टर्स पद पर लगाया जाना हैं। पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के रूप में कार्य करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पात्रता :– आवेदक को सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

आय :– आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

श्रेणी – पैरा लीगल वॉलियन्टर के लिए निम्न श्रेणी के व्यक्ति आवेदन कर सकते है।

1. अध्यापक (सेवानिवृत्त सहित)
2. सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी एवं सीनियर सिटीजन
3. एम.एस.डब्लु. के विद्यार्थी एवं अध्यापक
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
5. डाक्टर्स
6. विद्यार्थी/विधि के विद्यार्थी(उनके वकालत मे आने तक)
7. गैर सरकारी संस्थान/क्लब के सदस्य ऐसे व्यक्ति जो राजनीति से जुडे ना हो।
8. महिला संगठनों के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य
9. ऐसा शिक्षित कैदी जिसका व्यवहार अच्छा हो एवं जैल मे लम्बे समय से सेवाऐं दी हो।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रत्येक पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को उनको सौपें गये कार्य की एवज में कार्यदिवस की संख्या के अनुसार माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे :–

1. सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।

2. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो। (स्टेपल नहीं करें)
3. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
4. आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन किया जा रहा है तो उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधारकार्ड/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।
5. किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र।
6. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)

चयनित पी.एल.वी.के कर्तव्य (ड्यूटी)

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना ।
3. श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा (RTE के तहत नामांकन) और सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ना।
4. पी.एल.वी.द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय यथा बाल विवाह, मृत्युभोज, अन्य अपराध आदि होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना ।
5. पुलिस थानों, फ्रंट ऑफिस, जेल विधिक सहायता क्लीनिक और लोक अदालतों में सहायता करना ।
6. पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिलती है तब उसे पुलिस थाना जाकर गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी देना।
7. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल, संरक्षण व दं.प्रं.सं.की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना ।
8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर कारागृह, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह, रैन बसेरों आदि गृहों में रहने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता, सलाह की जानकारी एवं साफ सफाई, मूलभूत आवश्यकताओं का आंकलन कर प्राधिकरण को अवगत करावाना।
9. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा होने की जानकारी अविलंब विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा बाल कल्याण समिति को आवश्यक रूप से देगें।
10. पैरा लीगल वॉलियन्टर स्थानीय लोगों को तालुका विधिक सेवा समिति /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की गतिविधियों की जानकारी देगें। वे आम लोगों को इन संस्थानों का पता भी बताएंगे ताकि सुयोग्य व्यक्ति को इन संस्थनों से मदद मिल सकें।
11. पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों मे विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त अथवा कम खर्चीले माध्यमों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वे लोगों को जनोपयोगी सेवाओं जैसे डाक एवं तार, टेलीफोन, पानी बिजली आपूर्ति, बीमा तथा अस्पताल सेवाओं से सबंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के प्रति जागरूक करेंगें।
12. पैरा लीगल वॉलियन्टर (अधिकार मित्र) यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक जागरूकता तथा विधिक सेवा गतिविधियों का प्रदर्शन उनके क्षेत्र में प्रमुख जगहों पर हो।

13. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी SOP एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशो की अक्षरशः पालना करना।

चयन प्रक्रिया –

आवश्यकताअनुसार पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर साक्षात्कार द्वारा पात्र व्यक्तियों का चयन किया जावगा।

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप मे मय अण्डरटेकिंग डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिशः इस कार्यालय मे कार्यदिवस मे उपस्थित होकर **दिनांक 05.02.2026 को सांय 05 बजे** तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त आवेदको को साक्षात्कार **दिनांक 09.02.2026 को प्रातः11 बजे से** लिया जावेगा। इस बाबत् पृथक से कोई सूचना जारी नही की जावेगी। अभ्यर्थीगण जिला न्यायालय की वेबसाईट https://jhalawar.dcourts.gov.in पर ही इस बारे मे आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

नोटः– कम्प्यूटर कार्य में दक्ष, सोशल मिडिया में सक्रिय, कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग में दक्ष,, पत्रकारिता एवं फोटोग्राफी दक्षता में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

संलग्न – आवेदन का प्रारूप मय अण्डरटेकिंग।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश
झालावाड़

कमांक 5B1-600

दिनांक 22/1/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
2. अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति अकलेरा/भवानीमण्डी/चौमहेला/पिड़ावा/खानपुर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति बकानी/अकलेरा/मनोहरथाना/भवानीमण्डी/डग / सुनेल/खानपुर
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सैशन न्यायालय झालावाड़/जिला कलक्टर झालावाड़
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़
6. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग झालावाड़
7. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय झालावाड़ को इस विज्ञप्ति को जिला न्यायालय की वेबसाईट https://jhalawar.dcourts.gov.inपर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश
झालावाड़

आवेदन पत्र

आवेदित पद – पैरा लीगल वॉलियन्टर

1. नाम – ....

2. पिता / पति का नाम – ....

3. जन्म तिथि – ....

4. सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता – ....
....
....
....

5. ई मेल आई.डी. व मोबाईल न. – ....

6. शैक्षणिक योग्यता – ....

7. अन्य योग्यता – ....

8. बैंक खाता सं. व IFSC Code – ....

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / पंचायत समिति हेतु आवेदन किया गया है –

   पंचायत समिति बकानी / अकलेरा / मनोहरथाना / भवानीमण्डी / डग / सुनेल / खानपुर

10. अनुभव यदि हो – ....

11. वार्षिक आय – ....

उपरोक्त विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही है व मैने जानबुझकर कुछ नही छुपाया है

संलग्न–
1. अण्डरटेकिंग एवं अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)
2. निवास सत्यापन हेतु आधार कार्ड / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / मूल निवासी की प्रति
3. अन्य पहचान पत्र

दिनांक........................ आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान..........................

अण्डर टेकिंग

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी..

जाति......................................निवासी..

का हूँ। मै किसी भी राजनैतिक संस्था एवं वकालत क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। यदि जाँच करने पर गलत पाया जाये तो मेरी पैरा लीगल वॉलियन्टर की नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। मुझे सुपुर्द किये गये कार्य में लापरवाही पाये जाने पर एवं अन्य कारणों से कभी भी मुझे बिना नोटिस दिये हटाया जा सकेगा, जिसके लिए मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। यह अण्डरटेकिंग मैने सोच समझकर दी हैं।

दिनांक.......................

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान.........................